

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2255] No. 2255] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 15 सितम्बर. 2016

का.आ. 2957(अ).—राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश को जन सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

संविधान के अनुच्छेद 279क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा माल एवं सेवा कर परिषद का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:

(क) केंद्रीय वित्त मंत्री

—अध्यक्ष

(ख) राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री

—सदस्य

(ग) वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री अथवा प्रत्येक

—सदस्य

राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री

15 सितंबर, 2016 राष्ट्रपति

[फा. सं. 31011/09/2015-एसओ (एसटी)]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

4443 GI/2016 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2957(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by article 279A of the Constitution, the President hereby constitutes the Goods and Services Tax Council consisting of the following members, namely:-

a) The Union Finance Minister
b) The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance
c) The Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government
... Chairperson
Member

15th September, 2016 PRESIDENT

[F. No. 31011/09/2015-SO (ST)]

UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.